आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · Department of Welfare of Plains Tribes and Backward Classes (Tribal Affairs Plain), Government of Assam

Grants to ST Patients Suffering from Cancer and Other Malignant Diseases (Assam Plains Tribes)

असम का मैदानी जनजाति कल्याण विभाग कैंसर, किडनी फेल होने या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जनजाति मरीजों को इलाज के खर्च में मदद के लिए एकमुश्त अनुदान देता है।

क्या मिल सकता है

चयनित एसटी मरीज को कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण या पूर्ण किडनी फेल होने, हृदय पेसमेकर या बाइपास सर्जरी, टीबी और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एकमुश्त अनुदान सीधे बैंक खाते में मिलता है। सीमा बीमारी पर निर्भर है और नीचे पुराने नियमों में दी है। मरीज यह मदद सिर्फ एक बार ले सकता है।

किसके लिए है

असम के अनुसूचित जनजाति मरीज जो कैंसर, किडनी फेल होने या अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और जिनके परिवार की आय सालाना Rs 2 लाख से कम है।

मुख्य शर्तें

- मरीज असम के किसी एसटी समुदाय का हो।
- मरीज की, या मरीज नाबालिग हो तो अभिभावक की, आय सालाना Rs 2.00 लाख से कम हो।
- मरीज कैंसर, किडनी फेल होने या नियमावली में बताई किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हो।
- कोई भी यह मदद एक बार से ज़्यादा नहीं ले सकता, और अनुदान अधिकार नहीं है।

दस्तावेज़

- जाति प्रमाणपत्र
- चिकित्सा प्रमाणपत्र और अस्पताल के दस्तावेज़
- आय प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- इलाज के खर्च के बिल
- बैंक खाते का विवरण
- पहचान प्रमाण जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस

आवेदन कैसे करें

1. अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में निदेशालय का आवेदन मांगने वाला विज्ञापन देखें।
2. तय फॉर्म भरें (निदेशालय के पेज से डाउनलोड करें) और दस्तावेज़ों के साथ निदेशक, मैदानी जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण, असम को भेजें।
3. मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति सूची मंज़ूर करती है, और अनुदान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से दिया जाता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://directoratetribalaffairsplain.assam.gov.in/taxonomy/term/5729
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/assam/as-st-plains-patient-grant-cancer-malignant/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।